



-प्रेस नोट-

दिनांक: 15.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 19.08.2024 को वादी श्री शुभम पाल पुत्र कुशल पाल निवासी न्यू भगवती कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल सं0 UP11BR8884 को घर के बाहर से चोरी कर ले जाने की सूचना के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 341/2024 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम/शांतिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए **वाहन चोर/अभियुक्त सूरज पुत्र कैलाश नि0 नौरंगपुर थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर** को ग्राम सुमली की तरफ से आने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद। गिरफ्तारी व बरामदी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पुछताछ- अभियुक्त द्वारा पुछताछ करने पर बताया कि मैं पहले मोटर साइकिल को चिन्हित करता हूँ व उसके मालिक की निगारानी करता हूँ जैसे ही वाहन का मालिक इधर उधर चला जाता है तब मैं मोटर साइकिल का लाँक तोडकर चोरी कर लेता हूँ। मैंने यह मोटरसाइकिल दिनांक 19.08.24 को सुबह करीब 08.00 बजे न्यू भगवती कालोनी से चोरी की थी। आज मैं इस मोटर साइकिल को बेचने के लिए जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पता:-

सूरज पुत्र कैलाश निवासी नौरंगपुर थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 चोरी की मोटरसाइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
- 2- है0का0 839 कपिल राणा थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
- 3- का0 1551 अमित कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 15.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबन्द पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा/02 जिन्दा
कारतूस 315 बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त वसी पुत्र मंजूर गाडा निवासी ग्राम थीतकी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर को 01 अदद तमंचा/02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित फुलास अकबरपुर से सापला बक्काल जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 522/24 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त वसी उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि तमंचा मैं अपनी सुरक्षा व लोगो पर रौब जमाने के लिए अपने पास रखता हूँ। यह तमंचा मैंने एक राह चलते व्यक्ति से खरीदा था जिसका नाम-पता मैं नहीं जानता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

वसी पुत्र मंजूर गाडा निवासी ग्राम थीतकी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

बरामदगी –

01 नाजायज तमंचा 315 बोर

02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त वसी उपरोक्त का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 350/17 धारा 148/149/307 भादवि चालानी थाना देवबन्द स0पुर
2. मु0अ0स0 351/17 धारा 3/5/8 आयुद्ध अधि0 चालानी थाना देवबन्द स0पुर
3. मु0अ0स0 52/06 धारा 394 भादवि चालानी थाना देवबन्द स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ0नि0 इन्द्रेश चौहान थाना देवबन्द सहारनपुर
- 2- उ0नि0 हेमन्त भारती थाना देवबन्द सहारनपुर
- 3- है0का0 158 जितेन्द्र कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर
- 4- का0 2096 गौरव कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर



दिनांक: 15.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का (FIRST CHOICE) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में माद पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.09.2024 को चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर **अभियुक्त नवाब पुत्र शमशाद निवासी गाढ़ा रोड, मिर्जापुर पोल, थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर** को 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का FIRST CHOICE सहित पंजने की पुलिस से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभि० नवाब के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर **मु०अ०सं० 146/24 धारा 60/63 आबकारी अधि०** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं हरियाणा से शराब लाकर सड़क पर चल रहे ट्रक चालको व नशा करने वाले लोगो को थोड़े ज्यादा पैसों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छी खासी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1 नवाब पुत्र शमशाद निवासी गाढ़ा रोड, मिर्जापुर पोल, थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का FIRST CHOICE

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका० 32 गौरव भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. का० 2219 रोहित कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 09.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अलग-अलग मुकदमों में वारण्टी 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा अलग-अलग प्रकरणों वारण्टी 02 अभियुक्तगण **अभियुक्तगण 1. रऊफ पुत्र तालिब नि0 ग्राम पटनी थाना चिलकाना सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या—479/22 मु0अ0सं0—175/16 धारा—379/411 भादवि व एसटी नम्बर—3162/23 धारा—25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना चिलकाना में व **2. अलीशेर पुत्र मतलूब नि0 पटनी थाना चिलकाना सहारनपुर** वाद संख्या—3979/23 धारा—4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना चिलकाना को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण को विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. रऊफ पुत्र तालिब नि0 ग्राम पटनी थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. अलीशेर पुत्र मतलूब नि0 पटनी थाना चिलकाना सहारनपुर।

अभियुक्त रऊफ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0—175/16 धारा—379/411 भादवि थाना गागलहेडी सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0—119/16 धारा—379/411 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0—285/16 धारा—4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0—39/20 धारा—60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर स0पुर।
5. मु0अ0सं0—104/20 धारा—379/411/427 भादवि थाना बेहट सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0—105/20 धारा—3/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0—174/20 धारा—379/411 भादवि थाना गागलहेडी स0पुर।
8. मु0अ0सं0—283/20 धारा—414 भादवि थाना बेहट सहारनपुर।

अभियुक्त अलीशेर उपरोक्त आपराधिक इतिहास:-

वाद संख्या—3979/23 धारा—4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री करन नागर थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. है0का0 436 जाबिर अली थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर।
4. का0 2510 हरिओम सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर।
5. म0का0 1470 अन्जु थाना चिलकाना सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 09.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 01 घण्टे में ई-रिक्शा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी ई- रिक्शा बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 15.09.2024 को वादी श्री पंकज पुत्र अतर सिंह नि0 देहरादून रोड माहीपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा मोहल्ला ढोलीखाल कुडेघर के पास से वादी की ई-रिक्शा नं0 UP-11CT-4199 चोरी कर ले जाने की सूचना के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 268/2024 धारा- 303(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व ई-रिक्शा की बरामदगी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए मात्र 01 घण्टे में ई-रिक्शा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर/अभियुक्तगण 1. युनुस पुत्र शब्बीर अहमद निवासी मन्दिर वाली गली खानआलमपुरा थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर व 2. कलीम उर्फ बिल्ली पुत्र मंसूर निवासी खम्बरपुरा दाऊद सराय थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को मिगलानी बिल्डिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की गयी ई- रिक्शा बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि पैसों के लालच में यह ई- रिक्शा हम दोनों ने मोहल्ला ढोलीखाल कुडेघर के पास से चोरी किया था। जिसे हम लोग बेचने के लिए जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. युनुस पुत्र शब्बीर अहमद निवासी मन्दिर वाली गली खानआलमपुरा थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
2. कलीम उर्फ बिल्ली पुत्र मंसूर निवासी खम्बरपुरा दाऊद सराय थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ ई- रिक्शा रजि0 नं0 UP-11CT-4199

आपराधिक इतिहास अभि0 युनुस

1. मु0अ0सं0 21/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जनकपुरी।

आपराधिक इतिहास अभि0 कलीम उर्फ बिल्ली

1. मु0अ0सं0 88/22 धारा 3/8 गोवध अधि, 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना कुतुबशेर।
2. मु0अ0सं0 371/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कुतुबशेर।
3. मु0अ0सं0 415/2020 धारा 3/5ए/8 गोवध अधि0 थाना कुतुबशेर।

4. मु0अ0स0 125/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली मण्डी ।
5. मु0अ0स0 069/2017 धारा 3/8 गौवध अधि0 थाना कुतुबशेर ।
6. मु0अ0स0 249/2023 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर ।
7. मु0अ0स0 27/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री असगर अली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. का0 1811 राहुल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. का0 2531 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 09.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त सुमित सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह नि० भगत सिंह कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित मु०अ०सं० 186/2024 धारा 281,106(1),324(4) बीएनएस थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर में बजाज आटो एजेन्सी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. सुमित सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह नि० भगत सिंह कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- (1) उ०नि० श्री राशिद खाँ थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
- (2) है०का० 810 राहुल चौहान थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
- (3) है०का० 379 प्रमोद कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 15-09-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शस्त्रों की तस्करी की रोकथाम व कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.09.2024 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **अभियुक्त रजत पुत्र अमरपाल नि0 परवालो थाना बुडिया जिला यमुनानगर हरियाणा** को ग्राम दुमझेडा के पास से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0-214/2024 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं अपने दोस्तों में रोब जमाने के लिये चाकू रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रजत पुत्र अमरपाल नि0 परवालो थाना बुडिया जिला यमुनानगर हरियाणा।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 चाकू (नाजायज)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री पीयूष कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 913 अरुण कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 2498 पुष्पेन्द्र सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर।